

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 3-5/2018/26-2

भोपाल, दिनांक 03/05/2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
3. समस्त आयुक्त नगर निगम, म.प्र.
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
5. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, म.प्र।

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक आदेश, दिनांक 06.04.2018

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-1813 एवं बी-4112 के परिपालन में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के साथ-साथ प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना लागू की गई है, जिसमें कल्याणी के विवाह उपरांत दो लाख रुपये राशि का प्रावधान रखा गया है।

2. उक्त घोषणा के परिपालन में इस विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा प्रदेश में निवासरत् कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना' प्रारंभ की गई है।

3. **मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता के पात्रता के मापदण्ड :-**

- 3.1 कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो,
- 3.2 विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो,
- 3.3 कल्याणी आयकरदाता न हो,
- 3.4 कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- 3.5 कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो,

4. **अन्य शर्तें -**

- 4.1 योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बंधन नहीं है।
- 4.2 कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है, उस व्यक्ति की पूर्व से कोई जीवित पत्नि न हो,



.....2

- 4.3 कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा,
- 4.4 कल्याणी का मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह सम्पन्न होता है तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह योजना का ही लाभ देय होगा,
- 4.5 यदि कल्याणी स्वयं दिव्यांग है, कल्याणी का पति दिव्यांग है अथवा दोनों दम्पति दिव्यांग हो तो उस दशा में भी केवल कल्याणी विवाह सहायता का ही लाभ देय होगा।
- 4.6 कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा। एकल विवाह भी मान्य होंगे।
- 4.7 कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी संयुक्त रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी,
- 4.8 विवाह होने की तिथि से एक वर्ष अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जावेगा, विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
- 5. सहायता राशि -**
- 5.1 सहायता राशि रूपये 2.00 लाख कल्याणी के बैंक बचत खाते में जमा की जावेगी,
- 5.2 कल्याणी विवाह सहायता राशि पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही देय होगी।
- 5.3 कल्याणी के विवाह उपरांत 7 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद होने पर दी गई सहायता राशि कल्याणी से वसूल की जावेगी।
- 5.4 कल्याणी का विवाह पंजीयन व सहायता राशि का भुगतान उसी जिले से किया जावेगा जिस जिले में विवाह सम्पन्न हुआ है। भले ही कल्याणी प्रदेश के किसी भी अन्य जिले की निवासी हो।
- 5.5 कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2018 से सम्पन्न हुये विवाह हेतु ही दिया जावेगा। उक्त आदेश के पूर्व के विवाह योजना अंतर्गत मान्य नहीं होंगे।
- 6. आवश्यक दस्तावेज**
- 6.1 कल्याणी व उसके पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- 6.2 कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी।
- 6.3 कल्याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र।
- 6.4 कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट प्रदर्शित हो।
- 6.5 कल्याणी व उसके पति के आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)।

- 6.6 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- 6.7 कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों,
- 6.8 कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
- 6.9 कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
- 6.10 कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
- 6.11 कल्याणी के पति का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है। (पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं)
- नोट : 6.7 से 6.11 तक के स्व प्रमाणित घोषणा पत्र प्रारूप परिशिष्ट-ब अनुसार है।
- 6.12 कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ।
7. **आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया व अभिलेखों का संधारण**
- 7.1 कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-अ) में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पति उस जिले में निवासरत न हो।
- 7.2 कलेक्टर एवं संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के कार्यालय किये गये आवेदन की पावती (परिशिष्ट-स) संबंधित कार्यालय को आवेदिका को देना अनिवार्य होगा।
- 7.3 संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय में कल्याणी विवाह योजना हेतु प्राप्त आवेदनों को एक पंजी (रजिस्टर) निम्न तालिका अनुसार संधारित की जाये व समस्त दस्तावेजों को एक नस्ती में पंजीबद्ध किया जाकर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जावे।

क्र.	आवेदन दिनांक	आवेदिका का नाम	समग्र आईडी	पूर्ण पता	मोबाईल	पति का नाम	आवेदन की स्थिति	रिमार्क

Q

8. दस्तावेज परीक्षण समिति

दस्तावेज परीक्षण समिति निम्नानुसार होगी :-

1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	सदस्य
3	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण	सदस्य
4	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
5	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति प्राप्त आवेदन पर अनुशंसा सहित अभिलेखों का परीक्षण कर पत्रानुसार स्वीकृत/ अस्वीकृत हेतु जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।

9. स्वीकृत कर्ता अधिकारी

9.1 कल्याणी विवाह सहायता योजना की स्वीकृत कर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।

9.2 आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर स्वीकृति अथवा कारण सहित अस्वीकृति की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। अस्वीकृत किये गये आवेदन को कारण सहित समय-सीमा में आवेदिका को अवगत कराया जाना होगा।

10. **अपीलीय अधिकारी** : समय-सीमा में आवेदन का निराकरण न किये जाने अथवा आवेदन अमान्य किये जाने पर आवेदिका द्वारा निम्नानुसार अपील की जा सकेगी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी	समयावधि	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	समयावधि
संभागीय आयुक्त	30 कार्य दिवस	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	30 कार्य दिवस

11. बजट प्रावधान

योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा बजट प्रावधान किया जाकर कराया जावेगा। कार्यवाही प्रचलन में है, मद के विवरण से पृथक से अवगत कराया जावेगा।


(चन्द्रकान्त कश्यप)

अवर सचिव,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-5/2018/26-2

भोपाल, दिनांक 03 / 05 /2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश।
 2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
 3. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
 4. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग।
 5. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल की ओर लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाईट पर आवश्यक संशोधन हेतु।
 6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 8. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 9. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश।
 10. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 11. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
 12. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
 13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 14. प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर सचिव,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु
आवेदन प्रारूप

प्रति,

- कलेक्टर,
जिला मध्यप्रदेश।
- संयुक्त/ उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
जिला मध्यप्रदेश।

आवेदिका का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	आवेदिका के पति का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता प्रदाय करने बावत।

भाग- एक : आवेदिका की जानकारी

- आवेदिका की 9 अंकों की समग्र आईडी क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--
- आवेदिका का 12 अंकों का आधार कार्ड नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(यदि उपलब्ध हो तो)
- आवेदिका का नाम
- जाति वर्ग

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
- आवेदिका का जन्म तिथि/...../..... आयु.....
- आवेदिका का 10 अंकों का मोबाईल नम्बर
- कल्याणी के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता
- स्व. पति का नाम पूर्व विवाह होने की दिनांक
- स्व. पति के मृत्यु पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक
- क्या परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है ? हां / नहीं
यदि हां तो बीपीएल कार्ड क्रमांक जारी दिनांक
- क्या आवेदिका आयकरदाता है ? हां / नहीं
आवेदिका की वार्षिक आय
- क्या आवेदिका शासकीय कर्मचारी/अधिकारी है ? हां / नहीं
- क्या आवेदिका को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं
- क्या आवेदिका दिव्यांग है ? हां / नहीं
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत.....
- आवेदिका का बचत खाता नम्बर की जानकारी

बचत खाता नम्बर	बैंक का नाम व पता	आईएफएस कोड नम्बर
- आवेदिका के नाबालिग बच्चों की जानकारी (यदि है तो)
 - बच्चों का नाम आयु..... लिंग..... समग्र आईडी
 - बच्चों का नाम आयु..... लिंग..... समग्र आईडी

आवेदिका के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

:: स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ::

में पति निवासी

..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं,
2. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है,
3. आयकरदाता नहीं हूं,
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हूं,
5. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है,
6. मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही मेरा पति था,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाकर सहायता राशि प्राप्त कर ली गई है तो मुझसे मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता राशि जिला प्रशासन द्वारा वसूल की जा सकती है।

दिनांक

स्थान

आवेदिका के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

:: पावती ::

कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
.....जिलाम.प्र.

क्रमांक

दिनांक

श्रीमती..... समग्र आईडी

पति..... समग्र आईडी निवासी

ग्राम/नगर.....

तहसील/विकासखण्ड..... जिलाम.प्र.

द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया।

दिनांक

स्थान

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

कलेक्टर, संयुक्त/उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,

जिलामध्यप्रदेश

// स्वीकृति आदेश //

कार्यालय कलेक्टर

.....जिलाम.प्र.

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....
पति..... निवासी ग्राम/नगर
तहसील/विकासखण्ड..... जिलाम.प्र.
द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे
द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता
योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों को पूर्ति होने
के कारण विवाह सहायता स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक

स्थान

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

कलेक्टर,

जिलामध्यप्रदेश

// अस्वीकृति आदेश //

कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

.....जिलाम.प्र.

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....
पति..... निवासी ग्राम/नगर
तहसील/विकासखण्ड..... जिलाम.प्र.
द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे
द्वारा किया गया है।

2. परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजों के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का आवेदन अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | दम्पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र | हां/ नहीं |
| 2 | कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र | हां/ नहीं |
| 3 | कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों, | हां/ नहीं |
| 4 | कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी | हां/ नहीं |
| 5 | कल्याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र | हां/ नहीं |
| 6 | कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट प्रदर्शित हो | हां/ नहीं |
| 7 | समक्ष अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति | हां/ नहीं |
| 8 | कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र | हां/ नहीं |
| 9 | कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र | हां/ नहीं |
| 10 | कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र | हां/ नहीं |
| 11 | कल्याणी के पति का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है (पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं) | हां/ नहीं |
| 12 | कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ | हां/ नहीं |

दिनांक

स्थान

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

कलेक्टर, संयुक्त/उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,

जिलामध्यप्रदेश